प्रपत्र–2

2

भाग–I

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव –/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :– **जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

   (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :– संलग्न है।

   (ग) परियोजना की लागत। :– 400.00 लाख

   (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :– अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।

   (ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :– संलग्न है।

   (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :– मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: :–

वन पंचायत भूमि	:–	0.000 हे0
सिविल सोयम भूमि	:–	3.150 हे0
मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि	:–	0.000 हे0
योग	:–	**3.150 हे0**

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :– लागू नहीं है।

   (क) परिवारों की संख्या :– ~~160~~

   (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के :– ....

   (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :– —

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अर्न्तगत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही) :– नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) :– संलग्न है।

6. निर्देषों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। :– संलग्न है।

दिनॉंक 10/6/2015

स्थान रूद्रप्रयाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम– Er. Vinod Kumar

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या...

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र–3

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>भाग–2</u>

<u>(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)</u>

7.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र	:–	उत्तराखण्ड
	(ii) जिला	:–	रूद्रप्रयाग
	(iii) जिला वन प्रभाग	:–	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	:–	3.150 है0
8.	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	:–	सिविल सोयम भूमि
9.	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	:–	
	(i) वन का प्रकार	:–	सिविल वन
	(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	:–	40%
	(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	:–	संलग्न
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	:–	संलग्न
10.	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	:–	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है,
11.	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	:–	3 Km.
12.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	:–	
	(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	:–	घुरड़, काकड़, गुलदार, खरगोश, आदि
	(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	:–	नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :– नहीं

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :– नहीं

14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : :–

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लि :– अपरिहार्य एवं न्यूनतम

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि :– ×

15. **किए गए अतिकमण के ब्यौरे** : :–

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) :– नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लि :– ×

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) :– नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) :– नहीं

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)। :– हाँ

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : :– रु 9,00900=00

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)। :– हाँ

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। :– हाँ

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें :–

दिनाँक 23.7.15 — हस्ताक्षर (डा० सी० के० कविदयाल)

स्थान रु-प्रयाग — नाम उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

सरकारी मोहर रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग